न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या : 185 / 2025

जीसीएमएस संख्या– 2025 / 541

निर्णय दिनांक: 13.04.2026

1. राजेन्द्रसिंह उर्फ राजूसिंह पुत्र स्व० मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र स्व० मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व० मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. नोरंगसिंह पुत्र स्व० मदनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4- DELETED
5- DELETED
6- DELETED
7- महेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
8- DELETED
9- DELETED
10- DELETED
11. महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
12. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
13. शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. वादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री सोनाली पारीक।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 7 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीकान्त सोनी।
3. प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 14 पैरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा बाबत प्राप्त करने डिकी धोषणात्मक विभाजन, कृषि भूमि एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा बर बिनाय शहादत हर किस्म के आधारों पर अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः13.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व० मदनसिंह के वारिसान है एवं काश्त पेशा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादी के सगे भाई है प्रतिवादीनी संख्या 5 व 6 वादी की सगी बहिने एवं स्व० मदनसिंह की पुत्रियां है प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 2 का जायन्दा पुत्र है प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 वादी की सगी बहिन स्व० लिछमा कंवर के पुत्र पुत्री है प्रतिवादीनी संख्या 10 वादी की सगी बहिन गीताकंवर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह केता है उसका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 बैंक है जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में रहन दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। खाता संख्या 162 नया के हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व खाता संख्या 218 नया के हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.1423 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 18.1328 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है। जिसे दावा में आगे वादगत सम्पति के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादगत सम्पति स्व० मदनसिंह के वारिसान की पैतृक अविभाजित संयुक्त परिवार की सम्पति है वादी अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करता, फसल बोता, लाटता चला आ रहा है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 भी अपने हिस्सा की भूमि पर फसल बोते, लाटते चले आ रहे है। प्रतिवादीनी संख्या 5 व 6 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 वादी की सगी बहिन स्व० लिछमा कंवर के पुत्र व पुत्री है लिछमाकंवर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीनी संख्या 10 हंसा वादी की सगी बहिन स्व० गीता की पुत्री है गीताकंवर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10 का वादगत सम्पति में कोई कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग नहीं है प्रतिवादीनी संख्या 5 व 6 अपने ससुराल रहती है एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो वादी की सगी बहिन स्व० लिछमाकंवर के पुत्र पुत्री है वो भी अपने गांव जिनरासर व ससुराल जेगणियां बीकान रहती है प्रतिवादीनी संख्या 10 हंसा वादी की सगी बहिन स्व० गीताकंवर की पुत्री है जो ग्राम गांगीयासर में आवास निवास करती है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का वादगत सम्पति कें किसी भी हिस्सा पर कोई कब्जा, काश्त उपयोग उपभोग नहीं हैं। वादी की बहिन प्रतिवादी संख्या 5 व 6 एवं फौत हो चुकी है बहिने स्व० लिछमाकंवर एवं

गीताकंवर जिनके परिवार की संयुक्त आय से भात, मायरा छुछक आदि में काफी धन खर्च कर खुश एवं राजी कर दिया था। वादी की बहिने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 एवं फौत हो चुकी है बहिने स्व० लिछमाकंवर एवं गीताकंवर ने अपने जीवनकाल में ही खुश होकर परिवार एवं रिश्तेदारों की मौजूदगी में घोषणा कर दी थी कि हम हमारा कोई हिस्सा नहीं लेगी। हमारे पिता की कृषि भूमि में हमारे घोषणा करने के बाद से कोई हक हिस्सा नहीं रहा। बहिनों के घोषणा करने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का वादगत सम्पति में 1/5, 1/5 हिस्सा कायम हो गया एवं वादी वादगत सम्पति में 1/5 हिस्सा का कानूनन खातेदार काबिज काश्तकार हो गया। हमारें पांचों भाई आपस में बराबर बांट लेंगे अगर आवश्यकता होगी तो हम हमारा हिस्सा कानूनी रूप से परित्याग पत्र बनवाकर हमारे भाईयों के पक्ष में परित्याग कर देंगी। वादगत सम्पति दोनों खाता संख्या 162 व खाता संख्या 218 के हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.1423 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 18.1328 हैक्टेयर वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ का कोई विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 पूर्णसिंह ने प्रतिवादी संख्या 3 नोरंगसिंह के नाम अपना हिस्सा दर्ज करवा दिया तथा पूर्णसिंह का अविभाजित हिस्सा नोरंगसिंह ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवा लिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मणसिंह ने भी अपने पुत्र महेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 7 को भंवरसिंह को गोद देकर भंवरसिंह के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र के नाम करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहुत ही चतुर, चालाक व्यक्ति है जो परिवार की कीमती व अच्छी जगह की कृषि भूमि पर अकेले कब्जा कर स्वयं हड़पने की गलत नियम रखते है इसी के तहत आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है तथा ना ही वाजिब हक की जमीने बराबर बराबर बांटकर अलग अलग खाता व अलग अलग लगान कायम करवाना चाहते है।

वादगत सम्पति में से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहिनों द्वारा अपने अपने हिस्सा की भूमि की छोड़ने की घोषणा करने के बाद एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 1/5 हिस्सा प्रत्येक का वादगत सम्पति में कायम हो गया परन्तु राजस्व रिकार्ड में बहिनों का नाम दर्ज होने एवं नोरंगसिंह द्वारा पूर्णसिंह का हिस्सा ले लेने व भंवरसिंह द्वारा अपना 1/2 हिस्सा महेन्द्रसिंह के नाम कर देने से राजस्व रिकार्ड में उनके नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गई वादी के कब्जा काश्त में 1/5 हिस्सा की कृषि भूमि होने से वादी वादगत सम्पति में 1/5 हिस्सा कानूनन खातेदार होने के बावजूद वादी के कम हिस्सा की खातेदारी दर्ज होने से वादी अपने वाजिब कानूनी अधिकारों से महरूम हुआ है इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वोह वादगत सम्पति में से 1/5 हिस्सा की भूमि की घोषणा करवाकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाये कि वादी प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा छोड़कर शेष वादगत सम्पति में से 1/5

हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है। वादगत सम्पति हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.1423 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 18.1328 हैक्टेयर वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में से वादी प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह का हिस्सा छोडकर शेष 1/5 अविभाजित हिस्सा को काश्त करते फसल बोते लाटते चला आ रहा है शामिल खाता होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि में पेड़ लगाने, खाद डालने, मेड़ बनाने, आधुनिक कृषि संसाधनों का प्रयोग कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढाने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, ऋण लेने आदि बातों को लेकर आपस में विवाद रहता है इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वोह अपना 1/5 अविभाजित हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह का हिस्सा छोड़कर शेष 1/5 हिस्सा की कृषि भूमि सड़क के पर एवं गांव की आबादी सीमा के नजदीक एवं आवागमन के रास्ते सुनिश्चित करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाकर एवं अपने हिस्सा की कृषि भूमि का अलग खाता एवं अलग लगान कायम करवाये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बार बार ऐलानियां धमकियां देते है कि वादी को उसके हिस्सा की भूमि में काश्त नहीं करने देंगे, फसल उठाकर ले जायेंगे जबरदस्ती उसके हिस्सा पर कब्जा कर लेंगे वादी को बेदखल कर देंगे, मौका की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, कीमती व मौके की कृषि भूमि अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे तारबन्दी कर लेंगे, वादी लाठी के बल पर प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है इसलिये वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वोह प्रतिवादीगण को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वोह ना तो वादी को काश्त करने, फसल बोने से, लाटने से रोके ना वादी को उसके हिस्सा से बेदखल करें, करावे ना स्वयं कब्जा करें, करावे ना वादी की फसल को नुकसान पहुँचाये ना कोई निर्माण, परिवर्तन परिवर्धन करें, करावे ना तारबंदी करें, करावे ना मौका की स्थिति में परिवर्तन करें करावे ना विक्रय, हस्तान्तरण, रहन हर किस्म करें करावे ना कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करें, करावे जिससे वादी के हक, हकूक पर विपरीत असर पड़े, अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं भारी असुविधा होगी। प्रथम दृष्टया मामला, वादी वादगत सम्पति का खातेदार काबिज काश्तकार होने से वादी का दावा बखूबी साबित है। वादी, प्रतिवादी संख्या 12 व 13 बैंक से प्रतिवादी संख्या 2 लक्ष्मणसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह ने ऋण ले रखा है तथा कृषि भूमि बैंक के नाम रहन होने से पक्षकार बनाया गया है ऋण चुकता बाबत समस्त जिम्मेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 11 की है।

प्रतिवादी संख्या 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ भू–धारक होने व समस्त राजस्व रिकार्ड उनके पॉवर व पजेशन में होने से पक्षकार संयोजित किया है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कहा व कहलवाया कि वोह तहसील में चलकर वादगत सम्पति में से प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह का हिस्सा छोडकर शेष में से 1/5 हिस्सा की खातेदारी अलग करवा दे पहले तो वोह टालमटोल करते रहे आखिरकार दिनांक 11.11.2025

को वोह ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है बिनाय दावा वादी वादगत सम्पति का रिकार्डेड खातेदार होने से हासिल है।

दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा निवेदन किया गया कि (क) घोषित किया जावे कि खाता संख्या नया 162 नया हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व खाता संख्या 218 नया के हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.1423 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादाद 18.1328 हैक्टेयर वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में से प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह के हिस्सा को छोड़कर शेष वादगत सम्पति में से वादी 1/5 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार है वर्तमान राजस्व रिकार्ड शून्य व निष्प्रभावी है।

(ख) वादगत सम्पति खाता संख्या 162 नया व खाता संख्या 218 वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू में से प्रतिवादी संख्या 11 महेन्द्रसिंह का हिस्सा छोड़कर शेष वादगत सम्पूर्ण में से अच्छी भूमि व खराब किस्म देखकर आबादी सीमा के नजदीक, सड़क के सामने की भूमि एवं पहुँच के रास्ते सुनिश्चित करते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी के 1/5 हिस्सा का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वोह वादगत भूमि में ना तो वादी को काश्त करने, फसल बोने, लाटने से रोके, ना वादी को उसके हिस्सा से बेदखल करें, करावे, ना कोई परिवर्तन, परिवर्धन, निर्माण करें, करावे ना तारबंदी करें, करावे ना आवागमन में बाधा उत्पन्न करें, करावे ना स्वयं कब्जा करें, करावे ना कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करें, करावे जिससे वादी के हक हकूक पर विपरीत असर पड़े।

(घ) प्रतिवादी संख्या 14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ को आदेश फरमाया जावे कि वोह उप मद क, ख, ग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(2) खर्चा मुकदमां वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे (च) दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं॰ 1, 2, 3, 7 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीकान्त सोनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4,5,6,8,9 व 10 का नाम दावा से हटाने बाबत निवेदन किया जिसके साथ उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादगत भूमि का हिस्सा हकत्याग किये जाने के दस्तावेज संलग्न किये एवं उक्त प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं होने के कारण इनका नाम दावा से डिलीट किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 8, 9 व 10 का नाम दावा से हटाया गया। दिनांक 19.03.2026 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1, 2, 3, 7 व 11 ने मय अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर होकर राजीनामा एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 बावजूद विधिवत तामील के हाजिर नहीं आये जिस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सख्या 14 राजपैरोकार ने हाजिर होकर राजहित अहित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत होने की स्थिति में तनकीयात कायम कर साक्ष्य करवाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती अतः पत्रावली में बहस हेतु दिनांक नियत की गयी।

दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा एकमत होकर दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

बहस सुनी जाकर बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी रोही बोबासर बीदावतान खाता संख्या 162 व 218 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 व 11 वादीगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। एक रिकॉर्डेड खातेदार अपनी भूमि का विभाजन करावाने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बैंक हित को सुरक्षित रखते हुए अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि बैंक हित को सुरक्षित रखते हुए रोही बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ के वादगत खेत खाता संख्या 162 नया के हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व खाता संख्या 218 नया के हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर, हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.123 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 18.1328 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू का विभाजन मुताबिक राजीनामा किया जाकर अलग से लगान काम की जाये। राजीनामा व राजीनामा के साथ प्रस्तुत 4 नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के हित को प्रभावित नहीं किया जाये। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत   उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़

व इजलास   श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

राजेन्द्रसिंह उर्फ राजुसिंह बनाम भंवरसिंह आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 185 सन 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा हाजरी सुश्री सोनाली पारीक अधिवक्ता वादी, .मिनजानिब मुद्दई व श्री रजनीकान्त सोनी अधिवक्ता प्रतिवादी, पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि बैंक हित को सुरिक्षत रखते हुए रोही बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ के वादगत खेत खाता संख्या 162 नया के हाल खसरा नंबर 309 तादादी 1.0748 हैक्टेयर व खाता संख्या 218 नया के हाल खसरा नंबर 281 तादादी 4.8177 हैक्टेयर व हाल खसरा नंबर 369 तादादी 3.0980 हैक्टेयर, हाल खसरा नंबर 437/339 तादादी 9.1423 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 18.1328 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके सीमा ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ जिला चूरू का विभाजन मुताबिक राजीनामा दिनांक 19.03.2026 किया जाकर अलग से लगान काम की जाये। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के हित को प्रभावित नहीं किया जाये।

ज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी
लाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13 माह 04 2026**

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानाव कीलपर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
न			मीजान		

खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना